नागरिक घोषणापत्र

दमण एवं दीव और दादरा एवं नगर हवेली , प्रशासन ने भारत सरकार , गृह मंत्रालय के साथ परामर्श करके अधिसूचना सं . 0.1/15/2011-12/418 दिनांक 10 अगस्त 2011, के तहत संघ प्रदेश दमण एवं दीव और दादरा एवं नगर हवेली के लिए “पुलिस शिकायत प्राधिकरण” को एक सदस्य के रूप में मनोनीत किया है।

अधिसूचना के अंतर्गत एडवोकेट श्री सुरेन्द्रसिंह मोहनसिंह परमार को संघ प्रदेश दमण एवं दीव और दादरा एवं नगर हवेली के लिए “पुलिस शिकायत प्राधिकरण” के प्रथम “अध्यक्ष” के रूप में नियुक्त किया है। अध्यक्ष की अवधि तीन साल की होगी। “पुलिस शिकायत प्राधिकरण” का कार्यालय कम्पुटर आधारित होगा और जल्द ही परस्पर संवादात्मक वेबसाईट भी होगी , जहां पर लोग अपनी शिकायत दर्ज करवा कर शिकायत क्रमांक एवं उस शिकायत की स्थिति की जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे एवं एसएमएस और ईमेल द्वारा भी शिकायत की जानकारी प्राप्त होगी। कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत प्राधिकरण को ईमेल द्वारा pca.dd.dnh@gmail.com या pca-dd-dnh@nic.in पर, फॅक्स के द्वारा 0260 - 2630028 पर या आप अपनी शिकायत प्राधिकरण को पुलिस शिकायत प्राधिकरण , सचिवालय, दूसरा माला , अमली , सिलवासा - 396230 पर या प्राधिकरण के नोडल अधिकारी उप-समाहर्ता , समाहर्तालय, दीव के कार्यालय में लिखित में दे शकते है । अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप प्राधिकरण को 0260 - 2630028 पर संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर शकते है।

“पुलिस शिकायत प्राधिकरण” का कार्य निम्नानुसार होंगा।

1. पुलिस शिकायत प्राधिकरण को निम्नलिखित में से किसी से भी प्राप्त या तो स्वप्रेरणा से अथवा शिकायत पर निम्न दर्शाए गए विवरण के अनुसार पुलिस कार्मिक के विरूध्द “गंभीर दुराचार” के आरोप की जाँच करनी होगी।

    1. पीड़ित अथवा पीड़ित की किसी व्यक्ति की और से
    2. राष्ट्रीय अथवा राज्य मानव अधिकार आयोग
    3. पुलिस अथवा
    4. किसी अन्य स्त्रोत से

स्पष्टिकरण :- इस अध्याय के लिए **“गंभीर दुराचार”** का अर्थ होगा, किसी भी पुलिस अधिकारी का ऐसा कृत्य या चूक जो ...

1. पुलिस हिरासत में मृत्यु
2. भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 320 में परिभाषित **“गंभीर चोट”**
3. बलात्कार या बलात्कार का प्रयास
4. विधि स्थापित प्रक्रिया के बिना गिरफ्तारी या कैद
5. जबरन वसूली
6. भूमि या घर हथियाना
7. अैसी कोई घटना जिस में अधिकारों का दुरुपयोग हुआ हो

   की तरफ ली जाये या परिणाम रूप हों। बशर्ते की पुलिस शिकायत प्राधिकरण तभी अैसी गिरफ्तारी या कैद की शिकायत की जाँच करेंगा जहां पुलिस शिकायत प्राधिकरण शिकायत की सच्चाई के विषय में प्रथम द्रष्या संतुष्ट हो।

“गंभीर चोट” के रूप में भारतीय दंड संहिता की धारा 320, 1860 में शामिल

- पुंसत्व हरण;
- हंमेशा के लिए आँख की रोशनी खो देना या आँख खो देना;
- हंमेशा के लिए सुनने की क्षमता खो देना;
- शरीर का कोई भी अंग खो देना;
- शरीर के किसी भी भाग के उपयोग की स्थायी हानि होना;
- सिर या चेहरे को स्थायी हानि होना;
- दांत या हड्डी का टूट जाना और
- एसी भयंकर चोट जो आपको 20 दिनों तक बिस्तर में रखें और/ या आपको दैनिक कार्यो को करने से रोके।

2. प्राधिकार, प्रशासक या भारत सरकार द्वारा संदर्भिक किसी भी मामले के जाँच कर सकेगा।

पुलिस शिकायत प्राधिकरण को निम्नानुसार अधिकार होंगे।

1. पुलिस शिकायत प्राधिकरन किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण से अैसी कोई भी जानकारी हासील कर सकता है जो पुलिस शिकायत प्राधिकरन की राय में, जांच के मामले की किसी भी स्थिति या विषय के लिए उचित या सहायक हो।
2. पुलिस शिकायत प्राधिकरण अपना निष्कर्ष पर अंतिमरुप देने से पूर्व संघ प्रदेश के पुलिस बल के प्रधान अधिकारी को अपने महकमें की राय देने और अैसे अतिरिक्त तथ्यो की जानकारी (यदि हो तो) रखने का अवसर प्रदान करेगा जो पुलिस शिकायत प्राधिकरण के ध्यान में न हो। संघ प्रदेश के पुलिस बल के प्रधान अधिकारी द्वारा अैसे अतिरिक्त तथ्यो की जानकारी , जिसकी जांच के मामले पर सीधी असर हो , दिये जाने पर पुलिस शिकायत प्राधिकरण अपने निष्कर्ष ऊपर पुनः विचार कर सकता है।
3. पुलिस शिकायत प्राधिकरण द्वारा जिन मामलो में सीधे की गई जांच संपन्न होने पर अपने निष्कर्ष संघ प्रदेश के पुलिस बल के प्रधान अधिकारी को निम्न निर्देश के साथ दे सकता है।

    1. प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने और/ या
    2. निष्कर्ष के आधार पर विभागीय कार्यवाही करने के लिए सबूत सहित पुलिस बल को भेज सकता है।

4. सामान्यतः पुलिस शिकायत प्राधिकरण के निर्देश संघ प्रदेश प्रशासन को बाध्य रहेगा बशर्ते प्रशासन जीन निष्कर्ष पर लिखित में वजह बताकर असहमति दर्शाने के निर्णय करें।